भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 174
उत्तर देने की तारीख: 29.01.2026

ई-गवर्नेंस के माध्यम से अनुसूचित जनजाति संबंधित योजनाओं की निगरानी

174. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अनुसूचित जनजातियों से संबंधित योजनाओं की ई-गवर्नेंस के माध्यम से निगरानी करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो ऑनलाइन निगरानी के अंतर्गत लाने के लिए प्रस्तावित योजनाओं का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संस्थापित निगरानी, मूल्यांकन, सर्वेक्षण और सामाजिक लेखापरीक्षा (एमईएसएसए) ढांचा, समग्र जनजातीय विकास पहलों में पारदर्शिता, जवाबदेही और साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने को सुदृढ़ करने के लिए एक एकीकृत शासन तंत्र है। केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू) द्वारा एंकर किए गए, एमईएसएसए, डीएपीएसटी, डीए-जेजीयूए, पीएम-जनमान, ईएमआरएस, अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं और जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) सहित प्रमुख योजनाओं के लिए केंद्रीय निरीक्षण तंत्र के रूप में कार्य करता है, जो आईटी-सक्षम निगरानी, क्षेत्रीय सत्यापन, सहभागी सामाजिक लेखापरीक्षा और योजना और गैर-योजना उपायों के वास्तविक समय डेटा-संचालित विश्लेषण को सक्षम बनाता है।

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।
